

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर (साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी कैम्पस), सिरखा टोली, नामकुम, रॉची — 834010 (झारखण्ड)

पत्रांक - JUT-338/2020/415

/ राँची, दिनांक-13/06/2020

प्रेषक.

कुलसचिव (प्र0), झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नामकुम, राँची।

सेवा में.

निदेशक / प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य,

सभी राजकीय / गैर-राजकीय एवं पी० पी० पी० मोड पर संचालित डिग्री अभियंत्रण संस्थान, सभी राजकीय / गैर-राजकीय एवं पी० पी० पी० मोड पर संचालित पोलिटेकनिक संस्थान।

विषय:— शैक्षणिक वर्ष 2019—20 में डिग्री एवं डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में नियमित सेमेस्टर/वार्षिक तथा पार्शिवक प्रवेश योजना के अन्तर्गत SPOT COUNSELING (Special Counseling) के माध्यम से नामांकित विद्यार्थियों द्वारा निबंधन के लिए भरे गये ऑन लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र को अनुमोदित/अस्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2019—20 में डिग्री एवं डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में नियमित सुमेस्टर/वार्षिक तथा पार्शिक प्रवेश योजना के अन्तर्गत SPOT COUNSELING (Special Counseling) के माध्यम से नामांकित विद्यार्थियों का औपबंधिक निबंधन से संबंधित कार्य दिनांक—15.06.2020 से किया जाना है।

- 2. इस निमित्त निबंधन आवेदन पत्र का प्रपत्र, विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यकारी Link 164.100.150.29/gyanjyoti पर भारित (Upload) है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा सभी संबंधित प्रविष्टियों को काफी ध्यान पूर्वक एवं सही तरीके से भरा जाना है।
- 3. निबंधन के लिए विद्यार्थियों द्वारा निबंधन आवेदन पत्र में निबंधन शुल्क से संबंधित जमा की गई सिश का विवरण भी अंकित किया जाना अनिवार्य है। निबंधन शुल्क बैंक ड्राफ्ट (ड्राफ्ट, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के नाम से तथा राँची में भुगतेय) या बैंक चालान के माध्यम से (United Bank of India के खाता संख्या 1842050000532 में) जमा किया जाना है। निबंधन शुल्क की राशि निम्नवत् है:-
 - (क) निबंधन शुल्क रू० 350.00
 - (ख) निबंधन शुल्क (विलम्ब शुल्क सहित)— रू० 550.00
 - 4. यदि किसी नामांकित विद्यार्थी / विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के समय ही संस्थान में नामांकन शुल्क के साथ निबंधन शुल्क जमा कर दिया गया है तो वैसे मामले में नामांकित संस्थान द्वारा समेकित रूप से बैंक ड्राफ्ट (ड्राफ्ट, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रॉची के नाम से तथा रांची में भुगतेय) के माध्यम से विश्वविद्यालय में राशि संबंधित विद्यार्थी / विद्यार्थियों की सूची सिहत जमा की जा सकती है। उस राशि से आच्छादित होनेवाले विद्यार्थी / विद्यार्थियों द्वारा निबंधन आवेदन पत्र / पत्रों में समान बैंक ड्राफ्ट संख्या अंकित करना होगा।

5. विद्यार्थियों द्वारा ऑन—लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र को दिनांक — 17.06.2020 तक विलम्ब शुल्क रहित तथा दिनांक — 18.06.2020 तक विलम्ब शुल्क सहित जमा किया जाना है।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक — 18.06.2020 के बाद निबंधन आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 6. संस्थान प्रमुख द्वारा नामांकित विद्यार्थियों की पहचान, ऑन-लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र में Scanned फोटोग्राफ से मिलान कर एवं संतुष्ट होने के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये "Online Registration" के निमित्त Format को दिनांक 19.06.2020 तक विधिवत अनुमोदित/अस्वीकृत किया जाना है। पर्षद द्वारा "Online Registration" के लिए Login ID एवं Password संस्थान को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। सुरक्षा कारणों से इसे किसी के साथ Share नहीं करें तथा Password को समय—समय पर बदल लिया जाय। दिनांक 19.06.2020 के बाद "Online Registration" को Lock कर दिया जायेगा। सुलभ प्रसंग के लिए "Online Registration" हेतु संस्थान के लिए User Guidelines विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यकारी वेबसाईट के "Gyanjyoti" link पर उपलब्ध है।
- 7. "Gyanjyoti" link पर Students Corner के नीचे Registration के button पर Click करने के बाद Student को ID Field में अपने Email ID को तथा Password Field में Date of Birth को भरा जाना है। इसके उपरान्त Course Type (B. Tech./Diploma) Select कर Sign Up/Sign In किया जा सकता है। Sign Up/Sign In करने के बाद Registration Application Form को भरकर उसका Print Out निकाल कर संबंधित संस्थान में दिनांक— 20.06.2020 तक जमा किया जाना है। निबंधन के संबंध में किसी भी संशय / दुविधा की स्थिति में श्री मनोज कुमार नायक, कार्यालय सहायक, मोबाईल संख्या— 7870730577 से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 8. संस्थान द्वारा अपने Login ID एवं Password की मदद से Login करने के बाद Students द्वारा submit किये गये Registration Application Form को Registration Section में जाकर सभी प्रविष्टियों की जाँच करते हुए Approve / Disapprove किया जाना है। विद्यार्थियों द्वारा भरे गये Registration Application Form में किसी भी तरह की गलती / गलतियों को सुधारने के पश्चात ही उसे Approve करें। दिन्नांक 19.06.2020 से 20.06. 2020 तक की अविध में Registration Application Form को Approve / Disapprove किया जा सकता है। विद्यार्थियों के विवरण का गलत सत्यापन के लिए संस्थान को पूरी तरह से जिम्मेवार समझा जायेगा। संस्थान से अनुमोदित (Approve) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निबंधन संख्या आवंदित करते हुए निबंधन प्रमाण—पत्र (Registration Certificate), संस्थान प्रमुख को भेजा जायेगा जिसे उनके द्वारा अद्यभारित (Download) कर संबंधित विद्यर्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

पदि किसी नातीका विद्यार्थी विद्यार्थिया ३% नामाकन के शेनव ही संशोधन में नामाकन युनक के

अवस्थादेस होनेपाले विसामी प्रायमीयो दास्य निवान असरन पत्र राज्ये हे समान हेता है।

कृपया इसे प्राथमिकता देना चाहेंगे।

विश्वासभाजन, कुणात्म कुमा १ कुलसचिव 13) 06/2000

कार्या वर्ष के अपने के विश्वविद्यालय,

राँची।